19. विद्युत लाईन के नीचे कोई भूखण्ड मान्य नही किये जायेगें एवं विद्युत लाईन से म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम के अनुसार दूरी छोड़ने के पश्चात् ही विकास/ निर्माण कार्य किया जाना होगा ।

20. यह अनुमति आवेदक द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लेखित वर्जन के आधार पर दी जा रही है कि शपथकर्ता इस भूमि का भू–स्वामी अथवा मुख्तार आम जो उसका वैधानिक कर्ताधर्ता है । साथ ही इस अनुमति का उपयोग वैसा ही किया जावेगा जैसे कि अनुमति है व जैसा कि अनुमति की उल्लेखित शर्तो में उल्लेख है ।

21. विभिन्न नागरिक सुविधाओं (सर्विसेस) हेतु सीवेज टेंक, ओव्हर हैड टेंक, गारबेज डिस्पोजल एवं कालोनी का कचरा इकट्टा कर उसका निष्पादन की व्यवस्था की जाना होगी ।

22. उपरोक्त किसी भी शर्ते का उल्लघंन एवं भूमि के वाद–विवाद एवं न्यायालयीन प्रकरण प्रचलन में होने के स्थिति में यह अनुज्ञा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत् रिवोक कर दी जावेगी ।

सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय विदिशा (म.प्र.)

पृ. क्रमांक/ 278/p.282 /जि.का./नग्रानि/2011

विदिशा, दिनांक 26/7/11

प्रतिलिपि,

1. कलेक्टर, जिला विदिशा को सूचनार्थ ।
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
3. नजूल अधिकारी (राजस्व)जिला विदिशा को सूचनार्थ ।
4. उप पंजीयक फर्म्स एवं रजिस्ट्रार विदिशा की ओर कृपया सूचनार्थ ।
5. आवेदक स्फियर ट्रेड इंडिया लिमि. द्वारा आवेदक अनूप कुमार सहगल, प्रबंध संचालक 7 प्रेस काम्प. एम.पी. नगर, जोन–1 भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय विदिशा (म.प्र.)